

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 1974/2012/उदयपुर

मैसर्स ला गजर मशीनरी प्रा० लि०, उदयपुर

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन द्वितीय, बांसवाड़ा।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री अमर सिंह – सदस्य

उपस्थित : :

श्री सी.के.जाकेटिया,
अभिभाषक

.....अपीलार्थीगण की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,
उपराजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.


निर्णय दिनांक : 21/01/2014

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 177/वेट/2011-12 में पारित किये गये निर्णय दिनांक 23.08.2012 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, बांसवाड़ा (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 25.09.2011 को वाहन संख्या आरजे-19 1जी 5098 को एन.एच. 8 जिला डूंगपुर पर चैक किया गया। वाहन में सबमर्शिबल पम्प सेट स्टॉक ट्रांसफर के रूप में अहमदाबाद से उदयपुर के लिए परिवहन किये जा रहे थे। बिल, बिल्टी के साथ फार्म वेट-47 संलग्न था। परन्तु फार्म वेट-47 के पार्ट-ए में Nature of Transaction का अंकन नहीं था तथा पार्ट-बी में (1.) बिल नम्बर में कांटफांस की हुई थी। (2.) माल की कीमत का शब्दों व अंकों में अंकन नहीं किया गया था। (3.) घोषणा पत्र को नियत स्थान पर पंच भी नहीं किया गया था।

उक्त कमियों के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 21.09.2011 से धारा 76(2) का उल्लंघन मानकर धारा 76(6) of RVAT Act के तहत माल कीमत रूपये 8,93,745/- पर शास्ति रूपये 2,68,124/- व कर रूपये 44,687/- कुल मांग रूपये 3,12,811/- कायम कर दी गयी। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील पेश की गयी। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 23.08.2012 से अपीलार्थी की अपील को अस्वीकार कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गयी है।



लगातार.....2

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुचित रूप से शास्ति आरापित की गयी है। उनके द्वारा बताया गया कि प्रथमतः परिवहनित वस्तु अधिसूचित वस्तु नहीं है अतः फार्म वेट-47 की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरा तर्क दिया कि फार्म वेट-47 साथ में संलग्न था। बिल व बिल्टी मौजूद थे तथा फार्म वेट-47 में केवल माल की कीमत अंकित नहीं थी। यह भूल से नहीं भरी जा सकी थी। अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि इन तथ्यों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा the judgment of State of Rajasthan V/s D P Metals (SC) STC 2001 page 611 का निर्णय लागू होता है। तथा कोई कमी थी तो उसे पूरी करायी जा सकती थी। परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने अनुचित रूप से कोई अवसर दिये बिना ही शास्ति का आरोपण कर दिया जो कि पूर्णतया अवैधानिक है। उनके द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टान्त अपने पक्ष में पेश किये :-

(1.) As per the judgment of State of Rajasthan V/s D P Metals (SC) STC 2001 page 611 it is clearly stated that "Provision as to notice before imposing penalty is not an empty formality for imposing penalty, but is intended to give an effective opportunity for hearing as show that no penalty is at all leviable. If it is reasonably established that such default, is not with any intention to evade or avoid tax, but is bona fide default, the breach does not travel beyond technical breach, for which it is not compulsory to impose penalty."

(2.) IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR Rajasthan AT JODHPUR
CIVIL REVISION No. 555 of 2003 ACTO, F/S. SRIGANGANAGAR V/s
M/s DEV TRADING CO. Order date 05.09.2007

उक्त तथ्यों व न्यायिक निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में आरोपित शास्ति व कर को अविधिक बताया एवं अपीलार्थी की अपील को स्वीकार करने पर बल दिया।

5. विभाग की ओर से विद्वान उपराजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा ने अपनी बहस में कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुये उसे पूर्णतया उचित व विधि सम्मत बताया तथा प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के (2007) 13 RSTR-J-29 (SC) गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी निर्णय दिनांक 03.08.2007 से आच्छिदत होना बताकर उचित बताया। तथा अपीलार्थी की अपील को निरस्त करने का अनुरोध किया।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया। यहां ये स्पष्ट है कि माल का परिवहन (स्टॉक ट्रांसफर) शाखा अन्तरण के रूप में अहमदाबाद से उदयपुर भेज जा रहा था। शाखा अन्तरण में फार्म वेट-47 की आवश्यकता सदैव रहती है। अतः अपीलार्थी का यह तर्क अस्वीकार किया जाता है। फार्म वेट-47 की आवश्यकता होने के बाद तथ्यों के अनुसार फार्म वेट-47 से निम्न तीन कमियां पायी गयी :-




- (1.) बिल नम्बर में कांटफांस की हुई थी।
- (2.) माल की कीमत का शब्दों व अंकों में अंकन नहीं किया गया था।
- (3.) घोषणा पत्र को नियत स्थान पर पंच भी नहीं किया गया था।

इससे स्पष्ट है कि फार्म वेट-47 जो प्रस्तुत था वह अधूरा था। तथा बिल की कीमत नहीं लिखा जाना तथा उसे नियत स्थान पर पंच नहीं करना ऐसी कमियां हैं जिनको बिना कर दायित्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता है जो Material Particulars हैं। जो कि पूर्ण भरी जानी आवश्यक है। इनके अभाव में फार्म को अपूर्ण ही माना जावेगा। जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (2007) 13 RSTR-J-29 (SC) गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी दिनांक 03.08.2007से आच्छादित है अतः शास्ति देय बनती है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उचित रूप से यह शास्ति आरोपित की गयी है। तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा उसे उचित रूप से कायम रखा गया है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है। तथा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को उचित होने से कायम रखा जाता है।

7. फलतः अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है।
निर्णय सुनाया गया।


(अमर सिंह)
सदस्य